



Devi Ahilya Vishwavidyalaya

(Grade 'A+' University, Accredited by NAAC)

Institute of Engineering & Technology

Vikramshila Parisar, Khandwa Road, Indore - 452017

Website: www.dauniv.ac.in, www.iet.dauniv.ac.in, director@ietdavv.edu.in

IET/DAVV/26/229

Date: 28.09.2026

सूचना / NOTICE

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण – Ordinance No. 14 को जरूर पढ़ें

IET, DAVV के सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे University के Ordinance No. 14 को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें और अपने Academic एवं Examination से जुड़े नियमों को अच्छी तरह समझें।

इस Ordinance में आपकी पढ़ाई और Examination से जुड़े कई महत्वपूर्ण provisions हैं, जैसे:

- Grading एवं Evaluation System
- Passing Requirements
- ATKT एवं Maximum Permissible Backlogs
- अगले Semester/Year में जाने के लिए Eligibility/Progression Rules
- Examination में बैठने की Eligibility
- Result एवं Examination-related Rules
- Review/Revaluation Process
- Improvement of Performance, जहाँ लागू हो
- Engineering Programmes के लिए लागू Special Provisions

विशेष रूप से Engineering के विद्यार्थियों के लिए कुछ specific clauses, conditions एवं exceptions हैं। इसलिए केवल सामान्य जानकारी पर निर्भर न रहें और अपने programme पर लागू provisions को स्वयं भी जरूर पढ़ें।

नए विद्यार्थियों को Induction Programme के दौरान भी Ordinance No. 14 के महत्वपूर्ण provisions समझाए जाते हैं। फिर भी, Induction में दी गई जानकारी Ordinance को स्वयं पढ़ने का substitute नहीं है।

Examination में बैठने से पहले अपनी Eligibility जरूर Check करें

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

हर विद्यार्थी Examination में बैठने से पहले यह सुनिश्चित करे कि वह Ordinance No. 14 के अनुसार eligible है, विशेष रूप से ATKT एवं Maximum Permissible Backlogs के संबंध में।

केवल Examination Form भर जाना, Admit Card जारी हो जाना या Examination में बैठने की अनुमति मिल जाना अपने-आप में eligibility की guarantee नहीं है।

यदि कोई विद्यार्थी Ordinance No. 14 में निर्धारित eligibility conditions को पूरा नहीं करता है, विशेष रूप से यदि उसके backlogs permissible limit से अधिक हैं, और फिर भी वह Examination में appear करता है, तो applicable University Rules/Ordinance के अनुसार उसकी **Answer Book का Evaluation नहीं किया जाएगा / Result Process नहीं किया जाएगा।**

इसलिए बाद में किसी परेशानी से बचने के लिए अपने Grades, ATKT, Backlogs, Progression और Examination Eligibility की स्थिति को समय रहते समझना प्रत्येक विद्यार्थी के हित में है।

Ordinance के provisions की जानकारी न होना बाद में ATKT, Backlog Limit, Eligibility, Progression, Review या अन्य Examination-related matters में relaxation का आधार नहीं माना जा सकता।

अनवरत.....

सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे Ordinance No. 14 को अपने पूरे programme के दौरान एक important academic reference के रूप में रखें और आवश्यकता पड़ने पर इसे जरूर देखें।

Ordinance No. 14 – Devi Ahilya Vishwavidyalaya:

<https://www.dauniv.ac.in/public/frontassets/ordinance/Ordinance-14.pdf>


निदेशक
Director
Institute of Engineering & Technology
Devi Ahilya Vishwavidyalaya,
INDORB

सूचनार्थ :

1. समस्त विद्यार्थी
2. समस्त गैर-शिक्षकीय कर्मचारी
3. समस्त शिक्षक
4. परिसर प्रभारी, आईईटी
5. प्रशासनिक अधिकारी
6. निदेशक कार्यालय